प्र.सं. 46/2021 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 125–136 एलआरएक्ट
हरपिन्द्र सिंह बनाम सरकार
डीसीएमएस : 2021/96

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
06.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.प. 71 आरबी में पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू. अ./21/1689 दिनांक 15.09.2021 पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 124 के मु.नं. 41 व 46की कुल 6.249है. में वादी का 520/6249 हिस्सा व खाता सं. 123 में मु.नं. 48 व 41 की कुल 3.037है. नहरी व खाता सं. 110 में मु.नं. 48 की कुल 1.265है. भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व खाता सं. 118 में मु.नं. 48, 41, 42 की 9.205है. में वादी का 2/7 हिस्सा खातेदारी हैं। वादी का सही नाम हरपिन्द्र सिंह हैं मगर पूर्वज हरमेन्द्र सिंह, हरमिन्द्र सिंह के नाम से पुकारते थे। वादी से संबंधित समस्त व्यक्तिगत दस्तावेजों में नाम हरपिन्द्र सिंह ही हैं। वादी के नाम से रकबा नामान्तरित करवाते समय वादी के सही नाम हरपिन्द्र सिंह के बजाये सहवन हरमिन्द्र सिंह, हरमेन्द्र सिंह तत्कालीन समय दर्ज करवा देने से भूमि संबंधी अभिलेखों में वादी के उपरोक्त नाम दर्ज चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करते हुये वादी का नाम हरमिन्दर सिंह, हरमेन्द्र सिंह के स्थान पर हरपिन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाने अथवा हरपिन्द्र सिंह उर्फ हरमिन्दर सिंह उर्फ हरमेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश एवं डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोट तहसीलदार रायसिंहनगर अनुसार हरमिन्द्र सिंह व हरमेन्द्र सिंह के स्थान पर हरपिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह करवाना चाहाता हैं। राजस्व रिकार्ड का कोई दस्तावेज हरपिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह के नाम का प्रस्तुत नहीं किया हैं। संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार खाता सं. 110 में नाम हरमिन्दर सिंह, खाता सं. 118, 124 में नाम हरमेन्द्र सिंह , खाता सं. 123 में हरमिन्दर सिंह पुत्र ठाकर सिंह अंकित हैं। परन्तु दस्तावेजों में नाम हरपिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह अंकित हैं। पत्रावली पर मौजूद प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 71 आरबी दिनांक 12.01.2021 के अनुसार हरपिन्द्र सिंह उर्फ हरमेन्द्र सिंह उर्फ हरमिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह तीन नाम एक ही व्यक्ति हरपिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा सही नाम हरपिन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह सही हैं। चूंकि वादी के अन्य दस्तावेजों में नाम हरपिन्द्र सिंह दर्ज हैं, ऐसी स्थिति में दुरुस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 19 आरबी के खाता सं. 110, 118, 123, 124 में जहां वादी का [illegible] अथवा हरमेन्द्र सिंह पुत्र ठाकर सिंह अंकित [illegible] र हरपिन्द्र सिंह उर्फ हरमिन्दर सिंह [illegible] की दुरुस्ती कर दर्ज करने के आदेश [illegible] जाते हैं। शेष अंकन यथावत [illegible]। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी। नि[illegible] एवं डिक्री की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.01.2022 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फॅसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 71 आरबी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:38 IST
Reason: SelfAttested